"राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 79/2015

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प –सुरडिया

1– श्रीमति झमकूदेवी पत्नि श्री दुर्गा जी
2– श्रीमति रुकमा पुत्री श्री दुर्गा जी
3– श्रीमति कमला पुत्री श्री दुर्गा जी
4– श्रीमति राधा पुत्री श्री दुर्गा जी,
5– श्रीमति गीता पुत्री श्री दुर्गा जी
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम सुरडिया तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

———वादीगण

ब नाम

1– श्री नारायणसिंह पुत्र श्री बाला जी
2– श्रीमति सुरमा पत्नि श्री नारायण जी
3– श्रीमति फूली पत्नि श्री दूदा जी
4– श्रीमति सोहनी पत्नि श्री बालू जी
समस्त जाति रावत निवासीयान ग्राम सुरडिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
5– श्रीमान् तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला–अजमेर
6– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट सुरडिया में प्रस्तुत हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि मौजा ग्राम सुरडिया पटवार हल्का सुरडिया तहसील ब्यावर में विवादग्रस्त भूमिया खाता संख्या 179 खसरा नंबर 02 रकबा 02–16–00, 03 रकबा 00–09–00, 13 रकबा 00–04–00, 20 रकबा 00–04–10, 21 रकबा 00–01–10, 23 रकबा 00–03–00, 524/1 रकबा 01–06–10, 524/2 रकबा 03–05–10, 636 रकबा 03–08–00, 648 रकबा 00–02–10, 662 रकबा 00–02–10, 663 रकबा 01–01–00, 666 रकबा 00–02–10, 671 रकबा 00–05–00 कुल रकबा 13–11–10 स्थित है जो वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की नियत खराब है, तथा आस दिन तंग परेशान वादी संख्या 1 को करते है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 14.07.2015 को जब वादीया संख्या 1 अकेली गांव में थी उस समय प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीया संख्या 1 के घर आये और डराया धमकाया तथा ऐलानिया धमकी दी कि यदि खेतो की खडाई का कार्य करायेगी तो जान से मार देंगे और लाश का पता नही लगने देंगे। इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्कता हुई। अतः वादीगण के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे प्रतिवादीगण विवादित भूमियो में वादीगण के कब्जे व उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा वाद का खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन ग्राम ग्राम सुरड़िया जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 179 में जरिये नामान्तकरण संख्या 841 दिनांक 07.11.2014 के अनुसार जरिये विरासत से वादीगण के नाम दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

समरस लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारीत कि जाती है, कि मौजा ग्राम सुरडिया पटवार हल्का सुरडिया तहसील ब्यावर में विवादग्रस्त भूमिया खसरा नंबर 02 रकबा 02–16–00, 03 रकबा 00–09–00, 13 रकबा 00–04–00, 20 रकबा 00–04–10, 21 रकबा 00–01–10, 23 रकबा 00–03–00, 524/1 रकबा 01–06–10, 524/2 रकबा 03–05–10, 636 रकबा 03–08–00, 648 रकबा 00–02–10, 662 रकबा 00–02–10, 663 रकबा 01–01–00, 666 रकबा 00–02–10, 671 रकबा 00–05–00 कुल रकबा 13–11–10 में वादीगण के चले आ रहे शांति पूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वंय तथा जरिये उनके रिश्तेदार, आदि कोई भी दखअंदाजी पैदा नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट सुरडिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प –सुरडिया

राजस्व वाद संख्या 79/2015

1– श्रीमति झमकूदेवी पत्नि श्री दुर्गा जी
2– श्रीमति रुकमा पुत्री श्री दुर्गा जी
3– श्रीमति कमला पुत्री श्री दुर्गा जी
4– श्रीमति राधा पुत्री श्री दुर्गा जी.
5– श्रीमति गीता पुत्री श्री दुर्गा जी
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम सुरडिया तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
———–वादीगण

ब ना म

1– श्री नारायणसिंह पुत्र श्री बाला जी
2– श्रीमति सूरमा पत्नि श्री नारायण जी
3– श्रीमति फूली पत्नि श्री दूदा जी
4– श्रीमति सोहनी पत्नि श्री बालू जी
समस्त जाति रावत निवासीयान ग्राम सुरडिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
5– श्रीमान् तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला–अजमेर
6– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर
————–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री नन्दकिशोर मिश्रा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1से4 –श्री सी0डी0सांखला
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.5से6– पैरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 79/2015
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 30.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुरडिया में पेश हुआ। पैरोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2017 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट सुरडिया में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारीत कि जाती है, कि मौजा ग्राम सुरडिया पटवार हल्का सुरडिया तहसील ब्यावर में विवादग्रस्त भूमिया खसरा नंबर 02 रकबा 02–16–00, 03 रकबा 00–09–00, 13 रकबा 00–04–00, 20 रकबा 00–04–10, 21 रकबा 00–01–10, 23 रकबा 00–03–00, 524/1 रकबा 01–06–10, 524/2 रकबा 03–05–10, 636 रकबा 03–08–00, 648 रकबा 00–02–10, 662 रकबा 00–02–10, 663 रकबा 01–01–00, 666 रकबा 00–02–10, 671 रकबा 00–05–00 कुल रकबा 13–11–10 में वादीगण के चले आ रहे शांति पूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वयं तथा जरिये उनके रिश्तेदार, आदि कोई भी दखअदाजी पैदा नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 30.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयुष समारिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

.....................लगातार

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिग्री मुकदमा इकावाई
श्रीमती [illegible] व अन्य बनाम श्री [illegible] व अन्य
राजस्व वाद संख्या 79/2015
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – [illegible]

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष सामरिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर